क्रूज हादसा | चश्मदीदों, अपनों की जानें गंवाने वालों का छलका दर्द, नवभारत को रुंधे गले से सुनाया क्रूज हादसे का खौफनाक सच, कुदरती लहरें, जिम्मेदारों की लापरवाही ने छीनी 13 जिंदगियां

न सुरक्षा कवच, न रोशनी, जिंदा लाशों के बीच बीती पूरी रात, हमने अपनों को खोया

जबलपुर। कुछ सफर मंजिल तक पहुँचने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को हमेशा के लिए एक अधूरी दास्तान बनाने के लिए होते हैं। ऐसा ही सफर बरगी बांध का था जहां की लहरें जो कभी सुकून का अहसास कराती थीं, वे आज अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए उम्र भर का नासूर बनकर रह गई हैं। गुरूवार की शाम ऐसी ही थी जहाँ खुशियों का शोर, मौत के सन्नाटे में बदल गया था। कुदरत की खूबसूरती को निहारने निकले सैलानियों को अंदाजा भी नहीं था कि जिस पानी से वे खेल रहे हैं, वही उनकी जल-समाधि लिख देगा। कुदरती लहरों और जिम्मेदारों की लापरवाही ने 13 जिंदगियाँ लील ली है इस दर्दनाक हादसे के चश्मदीदों और अपनों की जानें गंवाने वालों ने नवभारत को रुंधे गले से खौफनाक सच बताया। क्रूज हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले दिल्ली निवासी विनोद कुमार ने बताया कि वहां किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं थी। अगर लाइफ जैकेट मिली होती और रेस्क्यू के दौरान रोशनी व अन्य व्यवस्था होती तो आज वह अपने परिवार को नहीं खोते। उन्होंने लापरवाहियों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए गंभीर आरोप रेस्क्यू टीम पर लगाया। उनका कहना है कि हादसा होने के तुरंत बाद कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। बचाव दल ने घटना के

शोकाकुल सेन परिवार

दूसरे दिन सुबह क्रेन के जरिए क्रूज को निकाला और सर्चिंग की थी वे घटना की रात को ही होना था। जैसा रेस्क्यू दूसरे दिन चला वैसा दर्दनाक घटना की रात को ही चल जाता तो कई जानें बच जाती। जिंदा लाशों के बीच पूरी रात बीती है, सांसे फंसी रही, न सुरक्षा कवच मिला और न ही रोशनी। पूरी रात लोग क्रूज के अंदर फंसे रहे और दम तोड़ते रहे। रात के समय न तो पर्याप्त रोशनी (लाइट) की व्यवस्था थी और न ही गोताखोर पानी के नीचे जाने को तैयार थे। सुबह तक सब बर्बाद हो गया था। क्रेन से सुबह क्रूज को निकाला गया अगर वहीं रात में हो जाता और रेस्क्यू दल रोशनी के साथ पानी में उतरता, तो कई लोगों को जिंदा निकाला जा सकता था। लापरवाही जिंदगियों पर भारी पड़ गईं।

सुरक्षा मानकों की उड़ी धज्जियां, जीजा ने शीशे तोड़े लाइफ जैकेट बांटी

विनोद ने बताया कि क्रूज पर सुरक्षा का कोई नामोनिशान नहीं था। क्रूज में प्रवेश के समय किसी भी यात्री को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई। जब क्रूज डूबने की स्थिति में पहुंचा, जहाज डूबने लगा और मौत सामने दिखने लगी, तब उनके जीजा ने साहस का परिचय दिया। जीजा ने खुद हिम्मत दिखाकर क्रूज के शीशे तोड़े और अंदर रखी लाइफ जैकेट निकालकर लोगों में बांटी। हादसे में उनके परिवार की मुधर मैसी, त्रिशान, मरीन मैसी का निधन हो गया जबकि जुलियस मैसी, सिया, प्रदीप सुरक्षित बच सके।

लापरवाही की बंद कोठरी बना क्रूज

क्रूज को लापरवाही की बंद कोठरी बना दिया गया था। विनोद के अनुसार हादसे के वक्त जब लहरें तेज हुईं और क्रूज डगमगाने लगा, तो प्रबंधन ने यात्रियों को ऊपर से हटाकर नीचे के केबिन में भेज दिया। नीचे का हिस्सा चारों तरफ से शीशों से बंद था। यह सबसे बड़ी गलती थी। अगर उनका परिवार ऊपर रहता और लाइफ जैकेट पहनी होती, तो क्रूज पलटने के बाद भी लोग तैरकर जान बचा सकते थे।

अनुभवहीन पायलट, मौसम की अनदेखी जानों पर पड़ी भारी

विनोद के अनुसार क्रूज का पायलट पूरी तरह अनुभवहीन लग रहा था। खराब मौसम की जानकारी होने के बावजूद वह क्रूज को बीच लहरों में ले गया। उसने न तो सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन किया और न ही स्थिति की गंभीरता को समझा। उनके परिवार के छह लोग इस यात्रा पर थे। जिनमें से तीन को उन्होंने खो दिया। उन्होंने रुंधे गले से बताया कि रेस्क्यू में हुई देरी के कारण वे अपने प्रियजनों को नहीं बचा पाए। हादसे के अगले दिन शवों को पानी के नीचे से निकाला गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यदि रात में ही रेस्क्यू दल मुस्तैदी दिखाता तो मंजर कुछ और होता और मेरा परिवार आज मेरे साथ होता।

ममता की कुर्बानी : बच्चों को बचाने वाली मां खुद लहरों में समा गई

चश्मदीद मनोज ने कहा, सब कुछ 2 से 5 मिनट में खत्म हो गया

फूटाताल बढ़ई मोहल्ला निवासी मनोज सेन के परिवार के लिए बच्चों की कामयाबी का जश्न जिंदगी भर के गहरे जख्म में तब्दील हो गया। क्रूज हादसे ने हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया है।

नवभारत से चर्चा के दौरान मनोज ने बताया कि क्रूज पर वे पत्नी ज्योति सेन, तीन बच्चों अंशिका, तनिष्क, तनिष्का के साथ सवार थे। मनोज ने रुंधे गले से बताया, सब कुछ 2 से 5 मिनट के भीतर खत्म हो गया। जैसे ही क्रूज पलटने लगा, ज्योति ने अपनी जान की परवाह किए बिना तीनों बच्चों को सुरक्षित दिशा में धकेल दिया। बच्चों को बचाने के चक्कर में वह खुद क्रूज के निचले हिस्से की तरफ दब गईं और हमेशा के लिए शांत हो गईं। इस हादसे में मनोज के सीने और हाथ में चोट आई है, जबकि उनकी एक बेटी और छोटे बेटे के हाथ-पैर में गंभीर फैक्चर हुआ है।

खुशियां मनाने गए थे, मिला उम्र भर का गम

मनोज ने बताया कि उनके दो बच्चों ने हाल ही में 10वीं कक्षा पास की थी। बच्चों की इस सफलता और उनके 11वीं में प्रवेश की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए पूरा परिवार क्रूज पर सैर करने निकला था। लेकिन संचालक की लापरवाही ने इस खुशी को मातम में बदल दिया।

मिन्नतें की पर पायलट नहीं माना, लाइफ जैकेट नहीं थी, चेतावनी को किया अनसुना

हादसे में जीवित बचे मनोज सेन ने क्रूज प्रबंधन और क्रूज ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को कोई लाइफ जैकेट नहीं दिया गया था, जो कि सुरक्षा के लिहाज से अनिवार्य है। जब आंधी-तूफान शुरू हुआ, तब पर्यटकों ने ड्राइवर से क्रूज को किनारे लगाने की मिन्नतें कीं, लेकिन ड्राइवर ने जिद में क्रूज को बीच पानी में ही घुमा दिया, जिससे वह पलट गया।

खराब मौसम का अलर्ट तो क्यों चलाया क्रूज

मनोज के अनुसार, जब क्रूज डूबने लगा तो ड्राइवर ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। हादसा लापरवाही की भेंट चढ़ा है। मौसम विभाग से पहले ही पता चल जाता है कि मौसम कब कैसा रहेगा खराब मौसम होने के बावजूद भी क्रूच को चलाया गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब मौसम विभाग ने पहले ही खराब मौसम का अलर्ट जारी किया था, तो क्रूज को चलाने की अनुमति क्यों दी गई? क्या पर्यटकों की जान की कीमत चंद रुपयों से भी कम है? बिना मेंटेनेंस और बिना सुरक्षा उपकरणों के क्रूज का संचालन किया गया।

4 दिन सिसकियों के बीच 13 लाशों का गवाह बना बरगी तट

बरगी बांध में गुरुवार की वो शाम, जो हंसी-ठिठोली और कुदरत के नजारों के साथ शुरू हुई थी, चंद मिनटों में मौत के चीत्कार में तब्दील हो गई थी। शाम के 5:50 बजे क्रूज पर हंसी-मजाक का माहौल था। क्रूज पर सवार पर्यटक लहरों का आनंद ले रहे थे, कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई ठंडी हवाओं में मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक आसमान का मिजाज बदला। फिजाएं बदलीं और एक भयानक तूफान काल बनकर आया। आंधी ने क्रूज को झकझोरा, निचले हिस्से में पानी घुसने लगा और देखते ही देखते क्रूज एक तरफ झुक गया। ठीक 6 बजे, जब तक कोई कुछ समझ पाता, क्रूज एक तरफ झुका और देखते ही देखते गहरे पानी में समा गया। 10 मिनट के भीतर सब कुछ खत्म हो गया। लहरों के बीच पर्यटकों की चीखें पानी की गहराई में दफन हो गईं। बरगी तट पर चार दिनों तक सिसकियों और 13 का गवाह बना रहा। हर डूबता सूरज एक नई लाश और एक नई बर्बादी की खबर लेकर आया। पहले और दूसरे दिन उम्मीदें टूटती रहीं और 9 शव निकाले गए। तीसरे और चौथे दिन की तलाश ने रही-सही कसर पूरी कर दी और कुल 13 शव मिले । रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जैसे-जैसे पानी से शव बाहर आए, वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। इस हादसे में 28 लोग खुशनसीब थे और मौत के जबड़े से निकल आए थे। यह हादसा सिर्फ कुदरत का कहर नहीं, बल्कि बड़ी लापरवाही का नतीजा भी माना जा रहा है।

चश्मदीद मोहित ने कहा-आंखों से देखा खौफनाक मंजर, पहाड़ से कूद 6 को बचाया

नवभारत से दर्दनाक हादसे के चश्मदीद मोहित नामदेव निवासी धनवंतरी नगर ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से खौफनाक मंजर देखा बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर चट्टानों के बीच फंसे 6 लोगों की जान बचाई। मोहित नामदेव के अनुसार वह बरगी घूमने गए थे और टिकट लेकर क्रूज के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच खमरिया टापू के पास तेज आंधी के कारण क्रूज अनियंत्रित होकर डूबने लगा। आंधी इतनी भीषण थी कि आधा क्रूज डूब चुका था। लोग फंसे थे। मुझे तैरना आता था मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना पहाड़ से छलांग लगाई और चट्टानों तक पहुंचकर डूबते हुए 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

सूची में हुआ रेस्क्यू, युवक का दावा मैं क्रूज में ही नहीं था सवार

प्रशासनिक रिपोर्ट में जिनका रेस्क्यू किया गया उसमें धनवंतरी नगर निवासी मोहित नामदेव का नाम भी शामिल है। मोहित ने नवभारत से चर्चा के दौरान चौंकाने वाला दावा किया जिसने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। मोहित ने दावा कि वह क्रूज पर सवार नहीं था। मोहित का नाम उन लोगों की सूची में डाल दिया गया जिनकी जान बचाई गई थी। मोहित ने कहा, यह गलत जानकारी फैली है कि मैं क्रूज में सवार था और मेरी जान बचाई गई। सच यह है कि मैं बाहर था और मैंने खुद लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला है।

क्रूज हादसा : घायल महिला से की लूट खसोट, बिल वसूला

अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड नए मरीजों की भर्ती पर रोक

जबलपुर । बरगी बांध क्रूज हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जीवित बची महिला को उपचार के लिए गौर तिराहा स्थित नोबल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था जहां अस्पताल प्रबंधन ने लूट खसोट की। महिला से प्राथमिक उपचार देने के बाद शुल्क वसूल लिया । मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने एक्शन लेते हुए अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही इस निजी अस्पताल पर नये मरीजों को भर्ती करने पर भी रोक लगा दी गई है।

जानकारी के अनुसार बरगी बांध क्रूज हादसे में घायल श्रीमती सविता शर्मा का रेस्क्यू हुआ था इसके बाद उन्हें नोबल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था । प्राथमिक उपचार के दौरान अस्पताल ने शुल्क वसूल लिया था। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जांच कर कारवाई के निर्देश दिये थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नवीन कोठारी ने बताया कि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन द्वारा श्रीमती सविता शर्मा को पेन किलर एवं टिटनस इंजेक्शन देने के बाद 4 हजार 700 रुपये का बिल प्रस्तुत किया गया था, जिसे उन्हें अपने परिजनों के माध्यम से जमा कराना पड़ा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार आपदा की स्थिति में घायल मरीजों को प्राथमिक उपचार देने के बाद उनसे शुल्क लेना पूर्णत: अनुचित है। नोबल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रबंधन का यह कृत्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के विरुद्ध पाया गया है।

एक माह के लिए लाइसेंस निलंबित नोटिस जारी, सात दिन में देना होगा जवाब

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आपदा प्रबंधन समिति के निर्देशानुसार नोबल मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से एक माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं निर्धारित समयावधि में और संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

उपचार के नाम पर ली राशि कराई वापिस

अस्पताल प्रबंधन से श्रीमती सविता शर्मा के परिजनों को प्राथमिक उपचार की ली गई राशि भी वापस करा दी गई है। डॉ कोठारी ने बताया कि अस्पताल को वर्तमान में भर्ती मरीजों का समुचित उपचार कर उन्हें विधिवत डिस्चार्ज करने एवं आगामी एक माह तक किसी भी नए मरीज को भर्ती नहीं करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

खाद्य सुरक्षा विभाग और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई, जब्त की कोल्ड ड्रिंक्स

जबलपुर, नवभारत। स्टेशन और ट्रेनों में गुणवत्ताहीन सामग्री बेचे जाने की शिकायतें मिलने के बाद रविवार को खाद्य सुरक्षा विभाग और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने जांच अभियान चलाया। इस दौरान अन्ना मोहल्ला में स्टेशन में खाद्य सामग्री बेचने वालों के किचन जहां बने हुए हैं, वहां टीम पहुंची तो हड़कंप मच गया। कई लोग किचन में ताला लगाकर भाग गये, वहीं एक-दो जगह से खाद्य सामग्री के सैंपल लिये गये। वहीं आरपीएफ की टीम ने रेलवे से अनअप्रूव्ड कोल्ड ड्रिंक और पानी की

बॉटल बेचते हुए 3 को पकड़ा और सामग्री जब्त की सूत्रो के अनुसार आरपीएफ उपाध्याय एवं आरक्षक पंकज सिंह के द्वारा उपनिरीक्षक योगेंद्र सिंह, आरक्षक प्रवीण रेलवे स्टेशन एवं आउटर पर कार्रवाई की गई। इस दौरान बिना प्रॉपर कार्ड के 3 वेंडरों को अनअप्रूव्ड पानी की बोतल बेचते हुए पकड़ा, वहीं वेंडरों ने बताया कि वे कहां से सामग्री लेकर आते हैं। इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग की निरीक्षक माधुरी मिश्रा के साथ टीम ने अन्ना वाले 2 व्यक्तियों के यहां छापा मारा। इस मोहल्ला में अवैध खाद्य सामग्री बेचने दौरान अमित सिंह नामक व्यक्ति के कब्जे से 5 पेटी अनअप्रूव्ड पानी की बोतल एवं 3 पेटी कोल्ड ड्रिंक जब्त की गईं।

टोल फ्री नम्बर पर किसानों को मिलेगी विशेषज्ञों से सलाह

नवभारत, जबलपुर। खेती से जुड़े मुद्दों पर जिले के किसान अब एक कॉल पर कृषि विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों से जरूरी सुझाव, मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त कर सकेंगे। राज्य शासन ने 'सीएम किसान हेल्पलाइन 155253' की शुरुआत की है। किसान इस टोल फ्री नम्बर पर संपर्क कर कृषि से जुड़ी अपनी कठिनाइयों का समाधान भी प्राप्त कर सकेंगे। उप संचालक कृषि यू के कटहरे ने बताया कि जबलपुर जिले के किसान भो 'सीएम किसान हेल्पलाइन 155253' पर फसल, आधुनिक तकनीक, उन्नत कृषि तथा केंद्र और शासन द्वारा संचालित कृषक हितैषी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

1997 में भर्ती हुआ तो आवेदक ओल्ड पेंशन का हकदार

हाईकोर्ट ने आवेदक के पक्ष में दिया राहतकारी आदेश

जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने जेल प्रहरी को प्रथम नियुक्ति 1997 में प्रचलित सेवा नियमानुसार सेवा लाभ एवं ओल्ड पेंशन योजना का लाभ देने के निर्देश दिये है। जस्टिस जेके पिल्लई की एकलपीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ओल्ड पेंशन का पात्र है। यह मामला याचिकाकर्ता नरेश कुमार पाण्डे की ओर से दायर किया गया था। जिनकी ओर से अधिवक्ता रमाशंकर यादव ने पक्ष रखा। जिन्होंने न्यायालय को बताया कि आवेदक को नरसिंहपुर जेल में जेल प्रहरी के पद में 7 अक्टूबर 1997 को फिक्स कलेक्टरेट रेट पर नियुक्त किया गया था। 16 दिसंबर 2008 को याचिकाकर्ता को नियमित किया गया। तर्क दिया गया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2005 से न्यू पेंशन योजना लागू की गई है। इसमें याचिकाकर्ता को शामिल कर लिया गया। जब याचिकाकर्ता ने नियुक्ति वर्ष 1997 में प्रचलित सेवा नियमानुसार सेवा लाभ एवं ओल्ड पेंशन प्रदान करने का अभ्यावेदन जेल विभाग को दिया, तो विभाग ने अस्वीकार कर दिया। इससे पीड़ित होकर हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई। अधिवक्ता यादव ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित न्याय दृष्टांत हाईकोर्ट के समक्ष पेश किये, जिसके बाद न्यायालय ने उक्त राहतकारी आदेश दिये।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57